प्रारूप–18

नियम–20 का उपनियम (2)
(अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

अधिसूचना संख्या:—1140——— / आठ / वि0भू0अ0अ0 / बिजनौर / दिनांक: 23/12/2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार / कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि **उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड–3, अमरोहा** के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन **मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मुख्य नहर के निर्माण** हेतु जनपद **बिजनौर** तहसील **चान्दपुर** परगना **बास्टा** ग्राम **अकौन्धा** में कुल **3.5055 है0** भूमि की आवश्यकता है।

2— भूमि अर्जन के कारण कुल ......**शून्य**..... परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है। भू–अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

3— अतः राज्यपाल / समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
बिजनौर	चान्दपुर	बास्टा	अकौन्धा	197	1.3140
बिजनौर	चान्दपुर	बास्टा	अकौन्धा	198	1.4090
बिजनौर	चान्दपुर	बास्टा	अकौन्धा	216	0.0675
बिजनौर	चान्दपुर	बास्टा	अकौन्धा	221	0.6670
बिजनौर	चान्दपुर	बास्टा	अकौन्धा	222	0.0480
कुल योग					**3.5055 है0**

4— अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल / समुचित सरकार कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

5— अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के **60** (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6— अधिनियम की धारा–11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
22/12/20
जिला कलेक्टर
बिजनौर